बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइरेन्सियल कारपोरेशन लि॰ पटना

34, हार्डिग रोड, (अली इमाम पथ) पटना – 800 001 फोन – 0612–2224975

शैक्षणिक ऋण आवेदन का प्रपत्र

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली सम्पोषित शैक्षणिक ऋण इस निगम द्वारा बिहार के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग के अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी) समुदाय के छात्रों/ छात्राओं को तकनीकी, रोजगारोन्मुख व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने जा रहा है, जिससे वे स्वासलम्बी हो सके :

शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने हेतु पात्रता एवं योग्यता :

1. आवेदक उपरोक्त वर्णित धर्म समुदाय का हो।
2. आवेदक के माता/ पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी आमदनी से कम हो जो शहरी क्षेत्र के लिये वार्षिक आय 55,000/– रू॰ तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये 42,000/– रू॰ हैं।
3. आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष तक हो।
4. ऋण प्राप्त करने के लिये प्रवेश पत्र का होना आवश्यक है। प्रवेश प्त्र की प्रत्याशा मे ऋण हेतु आवेदन दिया जा सकता हैं।
5. महिलाओं एवं चैलेपबंससल भ्ंदकपबंचचमक आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन मेधा ;डमतपजद्ध के आधार पर होगा।
7. ऐसे विद्यालय/ संस्थान जो कम से कम तीन वर्षो से उस पाठ्य में शिक्षा दे रहे हों तथा वह केन्द्र/ राज्य सरकार या ।प्ब्ज्म्ध्न्ळब् से मान्यता प्राप्त हो।

<u>शैक्षणिक ऋण निम्नलिखित व्यय हेतु स्वीकृत किया जा सकता है :</u>

1- प्रवेश शुल्क एवं शिक्षण शुल्क ;ज्नपजपवद थ्मम्द्ध

2- पाठ्यक्रम के लिये पुस्तकों, कागजात तथा अन्य सम्बन्धित सामानों के क्रय हेतु।

3- परीक्षा शुल्क ।

4- रहने एवं खाने पर व्यय।

इस योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50,000/– रू॰ तक स्वीकृत किया जाता हैं।

ऐसे पाठ्यक्रम जो अधिकतम पॉच वर्ष तक के हो, ऋण स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।

इच्छुक आवेदक निगम मुख्यालय से आवेदन प्राप्त कर या निम्नलिखित आवेदन प्रपत्र टंकित करा कर आय/ आवासीय प्रमाण पत्र विद्यालय/ संस्थान से अग्रसारित कराकर निगम मुख्यालय में जमा करें। सभी आवेदन पत्रों का निष्पादन मुख्यालय स्तर पर ही किया जाएगा।

कार्यालय

प्रधानाचार्य / अधीक्षक

——

——

संदर्भ ———————————————

दिनांक——————————————

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुॅ ————————————————————

पुत्र / पुत्री श्री——————— ——————————————— ———— ———

इस (संस्था का नाम) ——————— —————————— ——————————

के संस्थागत छात्र हैं तथा इनका प्रवेश वर्ग——————— —————————— ——

कोर्स में दिनांक ———————————को या / तथा वर्तमान सत्र के ———— ———

वर्ष में दिनांक ———————————को प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह पाठ्यक्रम इस संस्था मे विगत—————————वर्षो से लागू है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ———————————————————————————कॉलेज से सम्बद्ध छात्रावास में निवास करते / नहीं करते हैं। कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार इनके पिता का व्यवसाय ——

हस्ताक्षर निदेशक / प्रधानाचार्य
संस्था की मुहार सहित

शपथ –पत्र

व्यान हलफीया मिनजानिब –––––––––––– –––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––
छफात जैल हैं:

1. यह कि मैं बहलफ ब्यान करता हूॅं कि मेरा नाम –––
मेरे पिता का नाम श्री ––––––––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––– ––
मेरा वर्तमान पता ग्राम/ मुहल्ला –––––––––––– ––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––– –
थाना –––––––––––––––––––––––––––प्रखंड––––––––––––––––––––––––जिला –––––––––––– –
तथा मेरा स्थायी पता ग्राम/ मुहल्ला ––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––– ––––––– –––
थाना ––––––––––––––––––––––– प्रखंड –––––––––––––––––––––––– जिला ––––––––––– –––

2. यह कि मैं बहलु ब्यान करता हूॅं कि मेरे परिवार की सभी स्त्रोतों से संपूर्ण वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी वार्षिक से कम हैं।

3. यह कि मैं बहलफ ब्यान करता हूॅं कि कुल मजमून ब्यान हलफी हाजा मेरे जाती इल्म व यकीन में सही व सच है। इसमें न तो कोई बात झूठ है और न ही छिपायी गई हैं।

4. यह कि मैं मॉग पत्र में दर्शाई गई राशि का 90: राशि लेने क राजी हूॅं तथा शेष 90: मैं स्वयं वहन करूॅंगा––
सीान तसदीक दीवानी कचहरी
––
––तारीख––––––––––––––––––––––––ईॉ––––––––––
––––––––––

हस्ताक्षर शपथकर्त्ता

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइरेन्सियल कारपोरेशन लि॰ पटना

34, हार्डिग रोड, (अली इमाम पथ) पटना – 800 001 फोन – 0612–2224975

अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक ऋण योजना के लिए एकरारनामा

यह एकरारनामा दिनांक ——————————————को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि॰ जो कम्पनीज ऐक्ट 1956 के तेहत रजिस्टर्ड एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 34, हार्डिंग रोड, पटना है, जिसे 'निगम' कहा गया है पहले फरीक और श्री ———————————————— उम्र————————वर्ष, पुत्र/ पुत्री श्री ————————————————————————————————— निवासी मौजूदा (वर्तमान) पता ग्राम / मुहल्ला——— —————— ————————————————————डाकघर——————————— थाना————————————जिला————————————मुस्तकिल (स्थायी) पता ग्राम/ मु॰ ——————— —— डाकघर————————————— थाना————————————जिला———————————जिसे आगे कर्जख्वाह कहा गया है दूसरे फरीक के बीच निष्पादित हुआ।

चूँकि अल्पसंख्यक वर्ग के मेघावी और जरूरतमंद छात्र के अध्ययन में सहायता देने के लिए निगम ने शैक्षिक ऋण पूरे कोर्स के लिए आगे लिखी शर्तो पर देना मंजूर किया हैं।

अतः एकरारनामा गवाह हैः –

कर्जख्वाह को ———————————————(कोर्स का नाम) की तालीम (शिक्षा)————————————
को पूरा करने के लिये माली इमदाद की जरूरत है तदनुसार कर्जख्वाह को रूपये ——————————————
शैक्षिक ऋण 3ः साधारण वार्षिक ब्याज पर मंजूर किये जाने का प्रतिफल स्वरूप कर्जख्वाह निगम के साथ निम्नलिखित एकरारनामा करता हैंः –

1. कि कर्जख्वाह अल्पसंख्यक वर्ग में ———————————— ————————————— ———— धर्म का ——————————————————है एवं अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है।और वह ——— ———————— ———————————————— ——————————————————— –
2. कि कर्जख्वाह ने किसी अन्य संस्था से उपरोक्त कर्ज के समान कोई नहीं लिया है या कोई वजीफा या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त की है, इस प्रकार की कोई भी सुविधा प्राप्त करने पर कर्जख्वाह निगम को तत्काल सूचित करने के लिए बाध्य हैं।
3. कि कर्जख्वाह के पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय रू.———————————————जो गरीबी रेखा की दुगुनी से अधिक नहीं हैं।
4. कि कोर्स के पास करने की तारीख से 6 माह के तुरंत बाद या लाभदायक रू॰ से सेवारत होन पर, जो भी पहले हो, उस माह से कर्जख्वाह कर्ज अदायगी 20 त्रैमाहिक किस्तों में शिड्यूल के अनुसार 3 प्रतिशत सलाना ब्याज की दर पर करेगा, जिसकी गणना री–डियूसिंग बैलेंस के अनुसार की जायेगी तथा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत न करने पर देय किस्तों की धनराशि पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त दंड ब्याज देया होगा।
5. कि कर्जख्वाह को हक होगा कि भुगतान के संबंध में उपर के पैरा (4) के प्रावधान के होते हुए भी पूरे कर्ज या उसके किसी हिस्से का भुगतान तारीख से पहले भी कर सकेगा।
6. कि कर्जख्वाह अगर कोर्स के दौरान किसी भी वर्ष इम्तिहान (परीक्षा) में फेल होता है तो निगम को स्वीकृत ऋण के निरस्त करने और दिये गये कर्ज की वसूली का अधिकार होगा।
7. कि किसी और कानूनी कारवाई के हक पर असर डाले बिना इस एकरारनामो के तेहत देय धनराशि निगम के प्रबंध निदेशक के प्त्र पर (जो कर्जख्वाह के लिये आखिरी और काबिले कबूल होगा) कर्जख्वाह से लिया जायेगा। इसका अर्थ?
8. कि उक्त कर्जख्वाह को निगम के निर्धारित प्रारूप पर अन्य जरूरी सूचनाये देनी होगी।
9. कि कभी भी अगर यह पाया जाता है कि ऋण के लिए दी गई दरखास्त या इस एकरारनामे में दर्ज तफसीलात सही नहीं है या इस एकरारनामे की किसी शर्त्त या शर्तो का कर्जख्वाह के जरीये उल्लंघन किया जाता है या ब्याज सहित मूलधन की तीन किस्तों का बकाया रह जाता है तो एकरारनामें में प्रावधान होते हुए भी निगम दंड ब्याज सहित एकमुश्त कुल रकम 15 दिनों के भीतर अदा करने का हुक्म कर्जख्वाह को दे सकेगा और हुक्म की तामील

नहीं करने पर ब्याज सहित कुल मूलधन विविध व कानूनी खर्च के साथ वसूली के लिए कर्जख्वाह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके।

10. कि कर्जख्वाह के द्वारा इससे संबंधित कानूनी औपचारिकता पूरी करने के संबंध में जरूरी ड्यूटी खर्च वगैरह वहन किया जाएगा।

11. उपरलिखित शब्द कर्जख्वाह में उसके वायदों, उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रतिनिधियों का अर्न्तभाव और शब्द 'निगम' में उसके उत्तराधिकारियों और समानुदेशकों का अर्न्तभाव हैं। उपर्युक्त साक्ष्य स्वरूप दोनों फरीकैन ने प्रथम उपरलिखित तिथि पर अपने हस्ताक्षर किये।

निगम की ओर से हस्ताक्षर

1) हस्ताक्षरित कर्जख्वाह का पूरा नाम व पता

____
____
____
____

____

2) कर्जख्वाह के पिता/ अभिभावक का सह ऋणि के के रूप में हस्ताक्षर एवं पता

____

____

निगम के गवाह का हस्ताक्षर
(नाम/ पदनाम)

कर्जख्वाह के गवाह का हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

____
____
____
____
____
____

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइरेन्सियल कारपोरेशन लिॉ पटना

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना – 800 001 फोन – 0612–2224975

शैक्षिक ऋण योजना के वास्ते गारन्टी बॉण्ड

यह गारन्टी पत्र दिनांक————————को श्री (गारन्टर / सह ऋण धारक का नाम)—————————— – उम्र————————वर्ष————————————श्री (पिता का नाम)—————————— ———————————— – वर्तमान पता ग्राम/ मुॉ—————————————————— डाकघर———————————————— थाना——————————— प्रखण्ड——————————————जिला——————————————स्थायी पता ग्राम/ मुॉ—————————————————— डाकघर———————————— थाना—————————— ——— प्रखण्ड——————————————जिला——————————————

जिसे आगे जमानतदार कहा गया है– पहला फरीक और बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड जो कम्पनीज ऐक्ट 1956 के अधीनस्थ पंजीकृत कम्पनीं है और जिसका कार्यालय 34, हार्डिंग रोड, पटना में हैं, जिसे आगे 'निगम' कहा गया है– दूसरे फरीक के बीच उसके मुख्यालय में निष्पादित।

चूँकि निगम ने श्री (कर्जख्वाह का नाम) ——————————————पुत्र/ पुत्री/ पत्नि ——————————मौजूदा पता—————————————————————————————— स्थायी पता—————————————————————————————— जिसे आगे कर्जख्वाह कहा गया है को कुल रूपये (अंकों में)—————————— शब्दों में———————————————— ——— —— ———— ——————पूरे ——————————————वर्षीय सत्र का कर्ज राशि शैक्षिक संस्था ——————————————————————में—————————————————— कोर्स को पूरा करने के लिए नीचे दी गयी शर्तो के मुताबिक देना मंजूर किया है और एकरारनामें के मुताबिक कर्ज की अदायगी किये जाने की गारन्टी देने के लिए जमानतदार तैयार है, जमानतदार द्वारा दी गयी अचल सम्पत्ति का ब्योरा सही न पाने की दशा में जमानतदार सम्पूर्ण रूप से दंड का अधिकारी होगा।

1. यह कि जमानतदार निगम के साथ एकरार करता है कि अगर एकरारनामे के तेहत कर्ज की कोई रकम देय रह जाये तो जमानतदार मुश्तरका तौर पर या अलग–अलग निगम द्वारा मांग किये जाने से मांगी गई रकम की अदायगी 30 दिनों के अंदर निगम को करेगी। जमानतदार अपनी अचल सम्पत्ति का ब्योरा देगा जिससे रिकवरी की जा सकती है।
2. यह कि निगम के लिए यह जरूरी न होगा कि वह गारंटर से देय रकम की वसूली की कार्यवाही करने से पहले कर्जख्वाह के खिलाफ कार्यवाही करें।
3. यह कि किसी कानूनी कारवाई के हक पर असर डाले बिना इसके तेहत निगम के प्रबंध निदेशक के प्रमाण–पत्र पर जो गारंटर के लिए आखिरी और काबिलेकबल होगा गारंटर से मालगुजारी के बकाये की तरह वसूल की जा सकेगी और ऐसी वसूली में वह खर्च भी जमानतदार से लिया जायेगा जो निगम द्वारा किया जायेगा।
4. यह कि उपर दिनेय गये शब्द 'गारंटर' से उसके वायदों, उत्तराधिकारियों, निष्पादिकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों का अन्तर्भाव है और शब्द निगम से उसके उत्तराधिकारियों और समानुदेशकों का अन्तर्भाव हैं।

उपर्युक्त के सुबूत के तौर पर दोनों फरीकैन ने प्रथम उपरलिखित तारीख पर अपने दस्तख्त किये।

निगम की ओर से हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

गारंटर का हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

——————————————————
——————————————————
——————————————————

————————————————————————————————
आवेदक के गवाह का हस्ताक्षर/ नाम व पूरा पता

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइरेन्सियल कारपोरेशन लि॰ पटना

34, हार्डिग रोड, (अली इमाम पथ) पटना – 800 001 फोन – 0612–2224975

आवेदक फलक
(शैक्षिक ऋण)

अभिलेख संख्या–––––––––––––––––/200

1. आवेदक (विद्यार्थी नाम ––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––– ––––––––––
2. आवेदक के पिता का नाम–––––––––––––– ––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––– ––––
3. आवेदक का स्थायी पता– ग्राम/ मु॰––––––––––––––––––––––––––– डाकघर––––––––––––––––––
   थाना–––––––––––––––––––––––प्रखंड––––––––––––––––––––––––––जिला––––––––––––––

   (क) आवेदक का वर्तमान पता– ग्राम/
   मु॰––––––––––––––––––––––––––––डाकघर––––––––––––––––––

   थाना–––––––––––––––––––––––प्रखंड––––––––––––––––––––––––––जिला––––––––––––––

4. संस्थान का पूरा नाम व पता जहॉ आवेदक––
   शिक्षण ग्रहण कर रहा है–––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– –––––––––––– –––
5. आवेदक किस कोर्स में शिक्षण ग्रहण कर रहा है तथा वह कोर्स कितने वर्षो का है–––––– ––––– ––– ––––––

–––

6. कोर्स के किस वर्ष में पढ़ रहा है–––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––– ––––
7. कितनी राशि की आवश्यकता है––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––– ––––––––––– – –
8. गारंटर की विवरणी–––––––– –––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––– ––––––––––– ––

–––

9. ऋणावेदन शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित है अथवा नहीं––––––––––––––––––है/ नहीं––––––––– पृ॰ स॰
10. पिता/ अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र––––––––––––––––––––––––– है/ नहीं––––––––– पृ॰ स॰
11. पिता/ अभिभावक का आवासीय प्रमाण पत्र––––––––––––––––––––––––––– है/ नहीं––––––––– पृ॰ स॰
12. संस्था द्वारा शुल्क संरचना की प्रति––––––––––––––––––––––––––––––––– है/ नहीं––––––––– पृ॰ स॰
13. संस्था में प्रवेश का प्रमाण पत्र–––––––––––––––––––––––––––––––––––– है/ नहीं––––––––– पृ॰ स॰
14. एकरारनामा––– है/ नहीं––––––––– पृ॰ स॰
15. गारंटीबॉण्ड फोटो सहित ––– है/ नहीं––––––––– पृ॰ स॰
16. शपथ पत्र––– है/ नहीं––––––––– पृ॰ स॰
17. पी॰डी॰सी॰ की संख्या –––––––––––––––––––––चेक संख्या–––––––––––––––––––––––––––बैंक का नाम ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––खाता संख्या––

18. उपरोक्त वांछित सभी दस्तावेज प्राप्त हैं। चयन समिति की अनुशंसा दिनांक——————————के आलोक में शिक्षा ऋण के रूप में कुल ———————————————रूॉ की स्वीकृति दी जाती है जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में छात्र के नाम से ——————————————————रूपये एवं उपरोक्त संस्थान के नाम से ——————————
रूपये रंखांकित चेक/ डीॉडीॉ के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

सहायक ऋण पदाधिकारी लेखा पदाधिकारी स्वीकृत/ अस्वीकृत प्रबंध निदेशक

दूसरी किस्त

तिथि——————————————————
ओवदक श्री——————————————————पिता——————————————————द्वारा ऋण की द्वितीय किस्त की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है तथा आवेदन के साथ आवश्यक कागजात एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

कागजात की विवरणीः

द्वितीय किस्त की राशि——————————————————रूपये का चेक/ डीॉडीॉ निर्गत करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

सहायक ऋण पदाधिकारी लेखा पदाधिकारी स्वीकृत/ अस्वीकृत प्रबंध निदेशक

तृतीय किस्त

तिथि——————————————————
ओवदक श्री——————————————————पिता——————————————————द्वारा ऋण की द्वितीय किस्त की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है तथा आवेदन के साथ आवश्यक कागजात एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

कागजात की विवरणीः

तृतीय किस्त की राशि——————————————————रूपये का चेक/ डीॉडीॉ निर्गत करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

सहायक ऋण पदाधिकारी लेखा पदाधिकारी स्वीकृत/ अस्वीकृत प्रबंध निदेशक

चतुर्थ किस्त

तिथि——————————————————
ओवदक श्री——————————————————पिता——————————————————द्वारा ऋण की द्वितीय किस्त की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है तथा आवेदन के साथ आवश्यक कागजात एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

कागजात की विवरणीः

चतुर्थ किस्त की राशि——————————————————रूपये का चेक/ डीॉडीॉ निर्गत करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

सहायक ऋण पदाधिकारी लेखा पदाधिकारी स्वीकृत/ अस्वीकृत प्रबंध निदेशक

पंचम किस्त

तिथि——————————————————
ओवदक श्री——————————————————पिता——————————————————द्वारा ऋण की द्वितीय किस्त की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है तथा आवेदन के साथ आवश्यक कागजात एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

कागजात की विवरणीः

पंचम किस्त की राशि——————————————————रूपये का चेक/ डीॉडीॉ निर्गत करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

सहायक ऋण पदाधिकारी लेखा पदाधिकारी स्वीकृत/ अस्वीकृत प्रबंध निदेशक